

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प. अपील वाद संख्या- 237 / 2022

चावोबीरो फिड्स

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14- फार्म संख्या-563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
08.05.2023	<p>प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधक महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 29/2016-17 में दिनांक 02.08.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर ने पूर्वी चम्पारण के जिले के मौजा-सेमरा, थाना नं0-131 की 1065 डी० भूमि तथा मौजा-चकबारा, थाना नं0-125 की 385 डी० भूमि अर्थात् कुल-1450 डी० भूमि पर कमी मुद्रांक पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि 3,24,99,040/- एवं उस पर जुर्माने की राशि 32,49,904/- अर्थात् कुल 3,57,48,944/- (तीन करोड़ सतावन लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चालीस रूपय मात्र) जमा करने का आदेश दिया है।</p> <p>वाद का संक्षिप्त विवरणी यह है कि मधुकोन प्रोजेक्टस लिमिटेड (प्रतिनिधि श्री निरंजन साहु) द्वारा दिनांक-14.07.2016 को एक विक्रय पत्र दस्तावेज श्रीचावोबीरो फुड्स एण्ड फिड्स प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक वसुन्धरा) के पक्ष में निबंधन हेतु अवर निबंधन कार्यालय, चकिया में उपस्थापित किया गया। उक्त दस्तावेज में मौजा-सेमरा, थाना नं0-131 की 1065 डी० भूमि तथा मौजा-चकबारा, थाना नं0-125 की 385 डी० भूमि अर्थात् कुल- 1450 डी० भूमि का मूल्य विकासशील श्रेणी की दर से बाजार मूल्य 4,00,00,000/- (चार करोड़) दर्शाया गया। दिनांक-23.07.2016 को अवर निबंधक, चकिया ने कार्यालय कर्मी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में भूमि की श्रेणी व्यवसायिक, संरचना तथा निर्मित बाउन्ड्री पाये जाने की स्थिति में प्रश्नगत दस्तावेज को भारतीय मुद्रांक</p>	

अधिनियम, 1899 की धारा 47(1)(1) के अधीन कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु सहायक निबंधन महानिरीक्षक के कार्यालय को प्रेषित की गई। तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर ने मुद्रांक वाद सं०-29/2016-17 स्थापित करते हुए वाद की सूनवाई प्रारम्भ की। सूनवाई के क्रम में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक-22.10.2016 को लिखित अभिकथन दिया कि "अवर निबंधक द्वारा स्वयं जाँच नहीं किया गया है लिपिको द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया है जो तथ्य पर आधारित नहीं है। प्रश्नगत भूखण्डों का रकवा 14.50 एकड़ है जो कृषि योग्य है।" दिनांक- 25.11.2016 को विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पुनः स्वयं स्थल जाँच करने का अनुरोध किया गया। दिनांक-06.12.2016 को अवर निबंधक, चकिया एवं प्रतिवादी के भाई के साथ स्वयं (तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक) स्थल जाँच किया गया। स्थल जाँच में पाया गया कि प्रश्नगत भू-खण्ड चकिया से 8 किलोमीटर मोतिहारी की तरफ जाने वाले फोर लेन से 68 फीट की दूरी पर दहिने तरफ अवस्थित है। फोर लेन से दहिने मुड़ने पर करीब 600 फीट की दूरी पर गेट लगा हुआ है। बताया गया कि मधुकोन प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा फोर लेन के निर्माण के क्रम में प्लांट लगाया गया था। रोड निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद सभी मशीनों को हटा लिया गया है। जाँच के क्रम भूखण्ड पर 210 वर्गफीट छत रहित संरचना, 300 वर्गफीट में एसवेस्टस शेड संरचना तथा चाहरदिवारी पाई गई जिसका उल्लेख दस्तावेज में अंकित नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने मुद्रांक वाद सं०-29/2016-17 में कार्यालय आदेश सं०-2677 दिनांक-07.12.2016 द्वारा भूमि की श्रेणी विकासशील, छत रहित संरचना, एसवेस्टस शेड संरचना एवं चाहर दिवारी का बाजार मूल्य **4,34,63,000/- (रु० चार करोड़ तिरसठ लाख मात्र)** आकलित करते हुए कमी मुद्रांक शुल्क एवं अर्थ दण्ड रु० 228560/- अधिरोपित करते हुए आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने के उपरान्त दिनांक-23.12.2016 को उक्त दस्तावेज (दस्तावेज सं० 6295) का निबंधन कराया गया।

दिनांक-10.01.2017 को प्रतिवादी द्वारा पुनः उसी मौजा की 16 डी० भूमि को समान विक्रेता से एन० एच० 28 से सटे **व्यवसायिक श्रेणी** का मूल्य देकर निबंधन कराया गया जिसका दस्तावेज सं०-95 वर्ष

2017 है।

दिनांक-21.01.2019 को सम्पन्न राज्य स्तरीय मासिक राजस्व संग्रहण समीक्षात्मक बैठक के दौरान महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-रा.1-215/2017-18 के आलोक में निराकरण हेतु निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के अनुपालन में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी तथा अवर निबंधक, चकिया, पूर्वी चम्पारण का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण उपरांत पाया गया कि अंतरित भूखण्ड नेशनल हाइवे के बगल में अवस्थित है, जिसका 70% भाग नेशनल हाइवे 28ए से सटा हुआ है। इसी सटे हुए दीवाल तथा एन०एच० 28ए के बीच में झोपड़ीनुमा होटल, एक वाहन मरम्मत का गैरेज घेरानुमा कार्य स्थल तथा एक गुमटीनुमा दूकान अवस्थित है। ये सभी अस्थायी प्रकृति के हैं तथा ये एन०एच० के भू-भाग से जुड़े हैं। बाउन्ड्रीवाल से 700 मीटर दूर दक्षिण-पश्चिम टोल टैक्स कलेक्शन सेंटर है। बाउन्ड्रीवाल के सामने एन०एच० के दक्षिण दिशा में भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पम्प है। संबंधित भूमि के बाउन्ड्रीवाल के अंदर प्रवेश करने पर बिना छत का 120 वर्गफीट संरचना है तथा एक अन्य जगह एस्वेस्टस शेड का 300 वर्गफीट का संरचना निर्मित है। शेष भूखण्ड खाली है। मूल्यांकन समिति द्वारा एन०एच०/एस०एच० में एक मात्र श्रेणी व्यवसायिक/आद्योगिक अनुमोदित है। अतः प्रश्नगत भूमि भी व्यवसायिक/आद्योगिक श्रेणी की है जिसका भूमि व्यवसायिक श्रेणी, संरचना, छत रहित संरचना, चाहर दिवारी का कुल मूल्य **रु० 58,54,60,000/- (रु० अठान्न लाख करोड़ चौवन लाख साठ हजार मात्र)** संयुक्त जाँच कमिटी द्वारा आकलित किया गया।

महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-रा.1-215/2017-18 में उठायी गयी आपत्ति एवं दिनांक-28.01.2019 को विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अवर निबंधक, चकिया द्वारा मुद्रांक वाद सं०-29/2016-17 में पारित आदेश के फलस्वरूप इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में अपील दायर किया गया।

आयुक्त (तत्कालीन), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा वाद सं०- 25/2019 संस्थगित करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

सुनवाई के क्रम में भूमि की प्रकृति की वास्तविक जाँच हेतु SDM, Chakia को निदेशित किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि नेशनल हाईवे से सटे खेसरा सं०-86 एवं 87 द्वारा कुल 14.5 एकड़ भूमि का संपर्क है जिसका निबंधन दिनांक-23.12.2016 को तथा खेसरा सं०- 70, 71 एवं 86, 87 से कुल रकवा 16 डी० का निबंधन 10.01.2017 को विक्रेता Madhucon Pvt Ltd द्वारा वादी ने कराया है। उक्त दोनो दस्तावेजों के द्वारा अंतरित हाने वाली भूमि एन०एच० से सटे एक ही बाउन्ड्री के अन्दर अवस्थित है।

स्पष्ट है कि क्रेता/विक्रेता द्वारा राजस्व चोरी की नियत से उक्त कृत्य किया गया है।

आयुक्त (तत्कालीन), तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर द्वारा रिमांड करते हुए तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 07.12.2016 के पारित आदेश को एक तरफ रखते हुए निर्देश दिया गया कि प्रचलित MVR में सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मुद्रांक शुल्क का आकलन करते हुए उसी सीमा/बाउन्ड्री से घिरे भूमि के चार भूखण्डों (खेसरा सं०-70,71 एवं 86,87) को ध्यान में रखते हुए तदनुसार भूमि का मूल्यांकन किया जाय।

उक्त आदेश के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एवं सम्यक विचारोपरान्त दिनांक-23.12.2016 को निबंधित दस्तावेज (दस्तावेज सं०-6295) के द्वारा अंतरित भूमि पर निबंधन की तिथि को प्रभावी MVR से गणना करने पर प्रभार्य होने वाले बाजार मूल्य निम्न प्रकार पाया :-

- कुल भूखण्ड 1450 डी० X 4,00,000 /-(MVR प्रति डी०)= 58,00,00,000 /-
- संरचना 350X2400 (प्रति वर्गफीट)= 8,40,000 /-
- छत रहित 2100X1200 (प्रति वर्गफीट)= 25,20,000 /-
- चाहर दिवारी 14000X150=21,00,000 /-

कुल राशि:- 58,54,60,000 /-
(रु० अठ्ठावन करोड़ चौवन लाख साठ हजार मात्र)

इस प्रकार निर्धारित बाजार मूल्य रु० 58,54,60,000 /- पर 6

प्रतिशत की दर से रू0 35127600/- मुद्रांक प्रभार्य होता है। पूर्व में दस्तावेज में चुकाये गये मुद्रांक को घटाने पर रू0 35127600 (-) 2628560 = 32499040/- कमी मुद्रांक शुल्क देय होता है तथा तथ्य छिपाने/राजस्व अवरूध करने के आरोप में कमी मुद्रांक पर 10 प्रतिशत यानि रू0 3249904/= जुर्माना अधोरोपित करते हुए अपीलकर्ता को कमी मुद्रांक की राशि 32499040 एवं उस पर जुर्माने की राशि 3249904 अर्थात कुल 35748944 (तीन करोड़ संतावन लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चवालीस मात्र) रूपये जमा कर चालान की प्रति संबंधित कार्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया। जिसके विरुद्ध यह अपीलवाद दायर है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया की निम्न न्यायालय ने प्रस्तुत वाद की सुनवाई भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (1) में किया है इसलिए अपीलवाद दायर करने के पूर्व कमी मुद्रांक की राशि का 50% जमा करना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के CWJC No. 10002/2013 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के LPA No. 815/2015 को आधार बनाया है।

वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि प्रश्नगत मामले से संबंधित दस्तावेज निबंधित है इसलिए अपीलकर्ता को कमी मुद्रांक की राशि का 50% जमा करना अनिवार्य है। साथ ही सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (4) के अंतर्गत अपीलवाद दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (6) के तहत कमी मुद्रांक की राशि का 50 % जमा करना बाध्यकारी है परंतु उसका अनुपालन अपीलकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा वाद दायर करने के पूर्व के वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया इसलिए प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाए।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (4) के अंतर्गत वाद दायर करने के पूर्व 47 A (6) के तहत कमी मुद्रांक की 50 % की राशि जमा करना अनिवार्य है। जहाँ तक माननीय उच्च

न्यायालय, पटना के CWJC No. 10002/2013 के आदेश की बात है तो यह एक मात्र अंतरिम आदेश है। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने Bihar Stamp (Prevention of Under Valuation of Instruments) Rules 1995 की धारा 03 एवं 04 का अनुपालन नहीं किया है।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के **Section 47 A** में अंकित है कि :-

(1) Where the registering officers appointed under the Registration Act, 1908 while registering any instrument of conveyance, exchange, gift, partition or settlement is satisfied that the classification of the property and/or the measurement of the structure contained in the property which is subject matter of such instrument has been set forth wrongly or the market value of the property, which is subject matter of such instrument has been set forth at a lower rate than the Guideline Register of Estimated Minimum Value prepared under the rules framed under the provision of this Act, he shall refer such instrument before registering it to the Collector for determination of the proper market value of such property and the proper duty payable thereon.”

Provided that where the market value of the property of the instruments described above has been fixed at an amount which is not less than the value prescribed in the Guide Line Register of estimated minimum value prepared under the rules framed under the provisions of the Act, but the registering officer has reasons to believe that the market value of the property which is the subject matter of such instrument has not been rightly set forth or it is higher than the estimated minimum value, he after registering such instrument, shall refer it by assigning proper reasons to the Collector for determination of proper market value of the property and the proper duty payable thereon.”

(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Collector shall, after giving one month's time to the parties for

making their representation and after holding an enquiry determine the market value of the property which is the subject matter of such instrument and the duty as aforesaid. The difference, if any, in the amount of duty, shall be payable by the person liable to pay the duty:

Provided that no such person shall be required to pay any amount to make up the difference between the consideration or the market value as set forth in the instrument [or is less than even the minimum value determined in accordance with any rules made under this Act] and the market value determined by the Collector does not exceed 10 per cent of the market value so determined.

(3) The Collector may suo moto within two years from the date of registration of such instrument not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market value of the property which is the subject matter of such instrument and the duty payable thereon and if, after such examination, he has reason to believe that the market value of such property, has not been rightly set forth in the instrument, [or is less than even the minimum value determined in accordance with any rules made under the Act] he may determine the market value of such property and the duty as aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-section (2). The difference, if any, in the amount of duty, shall be payable by the person liable to pay the duty:

Providing that nothing in this sub-section shall apply to any instrument registered before in date of commencement of the Indian Stamp (Bihar Amendment Ordinance, 1986).

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or (3) may appeal to the Commissioner concerned of the administrative division. Such appeal shall be preferred within sixty days of the order and shall be heard and disposed of by the Commissioner.

(5) For the purpose of this Act, Market value of any property shall be estimated to be the price which in the opinion of the Collector or the appellate authority, as the case may be such property would have fetched or would fetch, it sold, in the open market on the date of execution of the instrument of conveyance, exchange, gift, partition or settlement.

(6) *Before filing an appeal under sub-section (4), the aggrieved party shall deposit 50% (fifty percent) amount of the payable deficit Stamp duty chargeable on the market value of the property as determined by the Collector.*

(7) *If after determination of the proper market value, it is established that the parties have deliberately concealed the actual description of property or the market value of the property or any other facts and circumstances affecting the chargeability of the duty as required under section-27 of the Indian Stamp Act, 1899 [as amended by Indian Stamp (Bihar Amendment), 1988], the Collector, or in cases where appeal has been filed, the appellate authority, may impose a fine equal to 10% (ten percent) amount of the deficit stamp duty.*

(8) *If an appeal is not filed under sub-section (4) of section-47A, interest at the rate of 5% (five percent) per month shall be leviable on the deficit amount of stamp duty if it is not deposited within sixty days from the date of order passed by Collector.*

(9) *If an appeal is filed as prescribed in sub-section-(4) of Section 47 A, interest at the rate of 5 % (Five percent) per month shall be payable from the date of the order of the appellate authority for deposit of deficient stamp duty if it is not paid within sixty days of such order.*

(10) *If the amount of deficient stamp duty is not paid within sixty days from the date of the order of the collector in case an appeal is not filed against the said order, or within sixty days from the date of the order of the appellate authority as the case may be, the amount of deficient stamp duty along*

with the amount of interest shall be recovered by the collector as prescribed under Section 48 of the Act.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 47 A (4) के अंतर्गत इस न्यायालय में समाहर्ता के द्वारा Sub Section (2) एवं (3) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है तथा उक्त अधिनियम की धारा 47 A (6) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपील दायर करने के पूर्व कमी मुद्रांक (Deficit stamp duty) की राशि का 50 % जमा करना अनिवार्य है। जहाँ तक अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने प्रश्नगत वाद की सुनवाई भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (1) के तहत की है इसलिए अपील दायर करने के पूर्व 50 % जमा करना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है की अपीलकर्ता का दस्तावेज भी निबंधित है एवं सहायक निबंधक महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर ने भी भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (3) के तहत ही प्रश्नगत मामले की सुनवाई कर आदेश पारित किया है जो नियमानुकूल है एवं धारा 47 A (4) में अपील दायर करने से पूर्व अपीलकर्ता को धारा 47 A (6) के तहत कमी मुद्रांक (Deficit stamp duty) की राशि का 50 % जमा करना बाध्यकारी है जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अतएव अपीलार्थी का यह दावा कि अपील दायर करने से पूर्व कमी मुद्रांक (Deficit stamp duty) की राशि का 50 % जमा करना अनिवार्य नहीं है, अमान्य किया जाता है। साथ ही अपीलकर्ता के यह दावा कि नियम में अपील से पूर्व कमी मुद्रांक की राशि का 50 % जमा करने का प्रावधान नहीं है के संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हो तो नियम में प्रावधान होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिनियम विधान मंडल से पारित होता है जबकि नियमावली Subordinate Legislation की प्रक्रिया से बनाया जाता है। अधिनियम एवं नियम में कहीं भी विरोधाभाष हो तो अधिनियम ही Prevail करेगा। वैसे भी Rule 13-18 में अपील की प्रक्रिया का उल्लेख है एवं वर्ष 2006 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम में 47 A (vi) जोड़ा गया है, जिसमें 47 A (4) के तहत sub section (2) एवं (3) में सुनवाई करने के पूर्व Deficit Amount का 50 % जमा करना अनिवार्य किया गया है अर्थात् मामला Before Registration {(U/S 47 A (1) एवं (2)} या after registration (U/S 47 A (3)) का हो, U/S 47 A (6) के तहत दोनो

मामलों में अपील दायर करने से पूर्व 50% Deficit amount जमा करना अनिवार्य है। जबकि सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें Deficit Amount का 50 % राशि जमा नहीं करना है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (4) के अंतर्गत अपील दायर करने के पूर्व भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (6) का अनुपालन अपीलकर्ता द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है एवं सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 A (10) के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति समाहर्ता, पूर्वी चंपारण मौतिहारी एवं सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भी दें।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

ज्ञापांक :-

मुज०/दिनांक :-

प्रतिलिपि:-

अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त

तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।